138/17 सरकार vs रवानीय आत्मपुरा, [illegible]

<table>
<tr><th>तारीख हुकम</th><th>हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए</th></tr>
<tr><td>18.5.18</td><td>पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 में अटल सेवा केन्द्र कोशलू में पेश हुई। प्रार्थी पक्ष की ओर पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार (कोर्ट) सिणधरी उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित। प्रार्थी पक्ष की ओर से निवेदन किया गया, कि विवादित भूमि मे दर्शित रकबा सरकारी खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म गै.मु. धोरा/बा.सोयम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। लेकिन प्रस्तावित रकबा आम जन के आने जाने हेतु रास्ते के रूप मे उपयोग आ रहा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे।
हमने प्रार्थी पक्ष को सुना। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि,आवेदन मे दर्शित विवादित भूमि का रकबा किस्म गै.मु. धोरा/बा.सोयम में दर्ज है। जिसकी मौके पर उक्त प्रस्तावित रकबा का आमजन के आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग मे लिया जा रहा है। एवं विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवेदन पत्र के समर्थन में इकबाली जवाब पेश किया गया, जिसमें उल्लेखित किया गया कि रास्ता आमजन हेतु रास्ता निकाला जाता है, तो विप्रार्थी सं. 1 को कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार सिणधरी द्वारा भी उक्त रकबे की किस्म गै.मु. धोरा/बा. सोयम के स्थान पर गै.मु.रास्ता दर्ज करने की सिफारिश की गई है। इस प्रकार अदालत को गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने में कोई आपर्ति प्रतीत नही होती है।
लिहाजा प्रार्थी का आवेदन लोकभावना एवं जनहित को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी</td><td></td></tr>
</table>

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

क्रमांकः / राजस्व / 2018 / 888 दिनांक 8-5-18

प्रकरण सं.:–138 / 2017

–::आदेश::–

श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व / 2016 / 7205–40 दिनांक 10.10.2016 प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व **ग्राम** कोशलू **पटवार मण्डल** कोशलू तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2069–2072 के अनुसार निम्नांकित भूमि सरकारी खाते में दर्ज है। लेकिन आवेदन में प्रस्तावित रकबानुसार मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जाने की तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा की गयी है।

भूमि धारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / 04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 136 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत राजस्व **ग्राम** कोशलू **पटवार मण्डल** कोशलू तहसील सिणधरी की निम्नांकित सरकारी भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि	
					रकबा	किस्म
1	संभावित खनिज क्षैत्र आरक्षित	160	10-17	गै.मु.धोरा	01-01	गै.मु.रास्ता
2	समपर्ण भूमि	161 / 6 161 / 5	0-16 0-17	बा.सोयम बा.सोयम	0-16 0-17	गै.मु.रास्ता गै.मु.रास्ता

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी
दिनांक 8-5-18

क्रमांकः / राजस्व / 2018 / 889-90

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।
1. श्रीमान जिला कलक्टर,बाड़मेर।
2. तहसीलदार सिणधरी।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner